खेल निदेशालय, उत्तरांचल,
देहरादून।

संख्या 2207 /ब.आ.प./2006-2007/दे.दून/दिनांक 2[illegible] सितम्बर, 2006

जिला क्रीड़ा अधिकारी,
देहरादून।

विषय:- परेड ग्राउण्ड, देहरादून में वालीबाल एवं बास्केटबाल कोर्ट के जीर्णोद्धार हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-286/VI-I/2006-4 (10) 2005 दिनांक 19 सितम्बर, 2006 की छायाप्रति इस आशय से सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है कि परेड ग्राउण्ड देहरादून में वालीबाल एवं बास्केटबाल कोर्ट के जीर्णोद्धार हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन को तकनीकी परीक्षणोपरान्त धनराशि रू. 5.50 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2006-2007 में इसी सीमा तक व्यय करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

1. आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है कि स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधानिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य करने से पूर्व स्थल की भलीभांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल का भलीभांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाय।
7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन

किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। धनराशि का आहरण व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-2007 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमश)-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम (लघुशीर्षक 108 के स्थान पर)-00-09-अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण-24 वृहत्त निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

अतः आप उक्त स्वीकृत धनराशि रू. 5.50 लाख (पांच लाख पचास हजार मात्र) कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराये तथा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक प्रगति की सूचना भी उपलब्ध करायी जाये।

उक्त बजट कन्ट्रोल पंजिका पृष्ठ 33 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(अमिताभ श्रीवास्तव)
निदेशक खेल,

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. अपर सचिव खेल, उत्तरांचल शासन।
6. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल शासन।
8. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल, देहरादून।
11. गार्ड फाईल

(आर.के. चतुर्वेदी)
अपर निदेशक खेल,
उत्तरांचल, देहरादून

5